भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2100
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई प्रोत्साहन

2100. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रोत्साहन अथवा भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित खाद्य उत्पादों के निर्यात में पिछड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छ: साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना -" खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" लागू कर रहा है। यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के प्राकृतिक संसाधन निधि के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाने में मदद करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करती है।

(ग) और (घ) : जी नहीं, कृषि-खाद्य उत्पादों का निर्यात (आईटीसी अध्याय 2-23, अध्याय 5,6,14 को छोड़कर),7.62 % चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाते हुए, वर्ष 2015-16 में 29.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 46.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (आईटीसी अध्याय 16-23) का निर्यात, 13. 57% सीएजीआर दर्शाते हुए, वर्ष 2015-16 में 4.855 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर वर्ष 2021-22 में 10.420 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ई) : देश भर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों/परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है। मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है, जबकि, पीएलएसएफपीआई का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुगम बनाना है।

*****